प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **158 / 2024** (अपील सूचना का अधिकार)
धीरेन्द्र सिंह पताः न्यू कोर्ट कॉम्पलेक्स के सामने, चेम्बर नं. 2, न्यायालय परिसर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02-12-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विगत 20 वर्ष में आयुध अधिनियम के तहत नवीन आर्म्स लाईसेंस जारी करने, पुराने आर्म्स लाईसेंस धारको के लाईसेंस का नवीनीकरण एवं न्यायालय में विचाराधीन लाईसेंस धारकों के संबंध में सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/158/24/1300–01 दिनांक 08.11.2024 से लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र कमांक प.41/2/लो.सू.अ./प्र.अ.स./158/2024/1166–68 दिनांक 12.11.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु संख्या 1 व 3 हेतु लिखा गया। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक न्याय/आरटीआई2005/2024/8059 दिनांक 29.11.2024 से अपीलार्थी को सूचित किया गया कि बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना हेतु कार्यालय समयावधि में दिनांक 02.12.2024 को उक्त सूचना हेतु संधारित दस्तावेजों का चिन्हीकरण हेतु अवलोकन करने के लिए लिखा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई तथा बिन्दु संख्या 1 व 3 के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को कार्यालय समयावधि में उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन करने हेतु दिनांक 29.11.2024 लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 2 की सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं बिन्दु संख्या 1 व 3 हेतु कार्यालय समय में उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन कर सूचना चिन्हित करने हेतु लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अपील में कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है। अपीलार्थी को परामर्श दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में चाही गई वांछित सूचना हेतु प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना को चिन्हित कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर